



2026:AHC:45486

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या-5922/2026

चामा पांडे

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: ऋचेश मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. उप-शाखा एवं भूमि अधिकार अधिनियम, 1950 की धारा 331 की उपधारा (3) के अंतर्गत दायर अपील के साथ स्थगन आवेदन, जो मामला संख्या 1903 वर्ष 2025 (कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या सी202505000001903) के रूप में पंजीकृत है। चामा पांडे बनाम अशोक कुमार और अन्य।
2. यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक), द्वितीय, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर द्वारा दिनांक 08.01.2026 के आदेश द्वारा स्थगन आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था, अतः यह रिट याचिका दायर की गई है।
3. उपरोक्त आदेश द्वारा अपील स्वीकार कर ली गई, परन्तु अंतरिम राहत प्रदान करने का आवेदन बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दिया गया। यह स्थापित विधि है कि अंतरिम राहत प्रदान करते समय भी कारण दर्ज किया जाना चाहिए, और वर्तमान मामले में इस तथ्य का अभाव है।
4. इस स्थिति में, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 08.01.2026 को पारित आदेश, जहां तक स्थगन आवेदन की अस्वीकृति का संबंध है, निरस्त किए जाने योग्य है और इसे निरस्त किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक), द्वितीय, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, जिसने उपरोक्त आदेश पारित किया है, को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दायर स्थगन आवेदन पर विधि के अनुसार सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद छह सप्ताह की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित करें।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका स्वीकृत की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

27 फरवरी, 2026

स्वाति

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”